



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062024-254585
CG-DL-E-06062024-254585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2106]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2024/ज्येष्ठ 16, 1946

No. 2106]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2024/JYAISHTHA 16, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून 2024

का.आ. 2208(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण, पंजाब' (पैन AAALR2230D), पंजाब सरकार द्वारा गठित एक निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:

(क) रियल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 16) और पंजाब राज्य रियल एस्टेट (नियमन और विकास) नियमावली, 2017 के अंतर्गत एकत्र की गई फीस/शुल्क/जुर्माना लगाना।

(ख) सरकारी अनुदान।

(ग) बैंक जमा पर व्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण, पंजाब –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) इसकी गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्षों 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 और 2027-2028 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 49/2024 फा.सं. 300196/16/2022-आईटीए-1]

विकास सिंह, निर्देशक, (आईटीए -1)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2024

S.O. 2208(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, ‘**Real Estate Appellate Tribunal, Punjab**’ (PAN AAALR2230D), a body constituted by the Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to that body, namely:

- (a) Levy of fees/charges/fines collected under The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act No.16 of 2016) and Punjab State Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017.
 - (b) Government grants.
 - (c) Interest on bank deposits.
2. This notification shall be effective subject to the conditions that Real Estate Appellate Tribunal, Punjab -
- (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) its activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year(s); and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to be applicable for Assessment Year(s) 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 and 2027-2028 relevant for the Financial Year(s) 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 and 2026-2027 respectively.

[Notification No. 49/2024 F. No. 300196/16/2022-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.